उपायुक्त का कार्यालय (जिला पंचायत शाखा), गिरिडीह ।

पंचायत राज स्वशासन परिषद के अधीन प्रखण्ड समन्वयक के पद पर संविदा नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों के लिये लिखित/दक्षता परीक्षा की संशोधित सूचना ।

सरकार के सचिव, ग्रामीण विकास विभाग(पंचायती राज), झारखण्ड, राँची के अधिसूचना संख्या 2773 दिनांक 11.08.2017 के आलोक में पंचायत राज स्वशासन परिषद के अधीन प्रखण्ड समन्वयक के पद पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु इस जिले के लिये कुलः–13(प्रति प्रखण्ड 01 के दर से) पद सृजित किया गया है । सृजित पद के विरूद्ध नियुक्ति हेतु कुलः–348(तीन सौ अड़तालीस) ऑनलाईन आवेदन प्राप्त हुए जिनकी संवीक्षा (स्कूटनी) के पश्चात् 279 अभ्यर्थियों के आवेदन को स्वीकृत किया गया । तत्पश्चात् प्रकाशित स्कुटिनी शीट के संदर्भ में प्राप्त आपित्तयों का निराकरण किया गया एवं इसके उपरांत कुलः–278(दो सौ अठहत्तर) अभ्यर्थियों के आवेदन को स्वीकृत किया गया। विभागीय निर्देशानुसार शैक्षणिक योग्यताओं के स्कोर के आधार पर तैयार प्रारंभिक मेधा सूची से लिखित/दखता परीक्षा हेतु रिक्त पदों के 5 गुना अभ्यर्थियों का चयन श्रेणीवार किया गया था एवं तत्संबंधी सूची का प्रकाशन गिरिडीह जिला के अधिकारिक वेबसाईट www.giridih.nic.in पर किया गया था ।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में दिनांक 01.11.2017 को विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में निदेशक, पंचायत राज, झारखण्ड, राँची से प्राप्त निर्देश, सरकार के संयुक्त सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–7/क0च0आ0–16–03/2012 का0–12165 दिनांक 31.10.2012 में निहित निर्देश एवं दिनांक 03.11.2017 को जिला चयन समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुरूप तैयार लिखित/दक्षता परीक्षा हेतु चयनित 64(चौंसठ) श्रेणीवार अभ्यर्थियों की संशोधित सूची एवं एडमिट कार्ड का डाटाबेस का प्रकाशन गिरिडीह जिला के अधिकारिक वेबसाईट www.giridih.nic.in पर किया जाता है । कार्यालय ज्ञापांक 1194/जि0पं0 दिनांक 31.10.2017 द्वारा लिखित/दक्षता परीक्षा हेतु चयनित अभ्यर्थियों की पूर्व में प्रकाशित सूची को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है ।

उपरोक्त चयनित 64(चौंसठ) अभ्यर्थियों के लिये 100(एक सौ) अंक का लिखित/दक्षता परीक्षा का आयोजन दिनांक 07.11.2017 को 11:30 बजे पूर्वाह्न से 01:00 बजे अपराह्न तक गिरिडीह समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में किया गया है ।

उपरोक्त परीक्षा में भाग लेने के निमित सभी संबंधित अभ्यर्थी निम्न निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगेः–

1. उक्त लिखित/दक्षता परीक्षा में वैसे सभी अभ्यर्थी, जिनका नाम लिखित/दक्षता परीक्षा हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची में अंकित है, को भाग लेना अनिवार्य है ।
2. परीक्षा स्थल पर निर्धारित समय से एक घंटा पूर्व अभ्यर्थी को अपने एडमिट कार्ड एवं एक अन्य पहचान पत्र (जैसे मतदाता पहचान पत्र/आधार कार्ड/ड्राईविंग लाईसेन्स/पैन कार्ड आदि में से कोई एक) के साथ उपस्थित होना होगा ।
3. परीक्षा स्थल पर बिना एडमिट कार्ड एवं एक अन्य पहचान पत्र (जैसे मतदाता पहचान पत्र/आधार कार्ड/ड्राईविंग लाईसेन्स/पैन कार्ड आदि में से कोई एक) के बिना किसी भी परिस्थिति में अभ्यर्थी को प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।
4. काली स्याही के दो बॉल पेन अभ्यर्थी अपने साथ अवश्य लायेंगे ।
5. अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड गिरिडीह जिला के अधिकारिक वेबसाईट www.giridih.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं ।
6. तकनीकी कारणों से यदि कोई अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड गिरिडीह जिला के अधिकारिक वेबसाईट www.giridih.nic.in से डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो वे दिनांक 06.11.2017 को गिरिडीह समाहरणालय स्थित जिला पंचायत राज कार्यालय, गिरिडीह से अपना एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं ।

3/11/17
जिला पंचायत राज पदाधिकारी
गिरिडीह ।

03.11.17

03/11/17
उपायुक्त, गिरिडीह ।

ज्ञापांक 1211 /जि0पं0 दिनांक 03.11.2017

प्रतिलिपिः–जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, गिरिडीह को इस सूचना की सॉफ्ट कॉपी के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । निर्देश है कि इस सूचना को सभी स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराना सुनिश्चित किया जाय ।

प्रतिलिपिः–जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, गिरिडीह को सूचनार्थ प्रेषित । निर्देश है कि इस सूचना, लिखित/दक्षता परीक्षा हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची एवं एडमिट कार्ड का डाटाबेस को गिरिडीह जिला के अधिकारिक वेबसाईट www.giridih.nic.in पर आज ही अपलोड कराना सुनिश्चित किया जाय। कार्यालय ज्ञापांक 1194/जि0पं0 दिनांक 31.10.2017 द्वारा लिखित/दक्षता परीक्षा हेतु चयनित अभ्यर्थियों की पूर्व में प्रकाशित सूची को वेबसाईट से तत्काल हटा दिया जाय ।

प्रतिलिपिः–जिला चयन समिति के सभी सदस्यों को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपिः–सरकार के सचिव, ग्रामीण विकास विभाग(पंचायती राज), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित ।

3/11/17

जिला पंचायत राज पदाधिकारी
गिरिडीह ।

03.11.17

03/11/17

उपायुक्त, गिरिडीह ।